



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।  
वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।


पत्रांक-04/STA-विविध-20/2017, परि- 1359 /पटना,दिनांक-15/2/2020

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार-झारखण्ड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमितों की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक-01.03.2019 को आयोजित की गयी थी, जिसमें स्वीकृत परमितों के निर्गमन हेतु दिनांक-07.04.2019 तक सभी वांछित कागजात(चेकलिस्ट के अनुसार) एवं शुल्क समर्पित किया जाय अन्यथा दिनांक-08.04.2019 से कतिपय अपर्याप्त कागजात/शुल्क वाले स्वीकृत परमित स्वतः रद्द समझे जायेंगे, का निर्णय लिया गया था।

राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के उक्त निर्णय के आलोक में निम्न मद संख्याओं के समक्ष स्वीकृत परमितों को वांछित अपर्याप्त कागजातों(चेकलिस्ट के अनुसार) निदेशानुसार रद्द किया जाता है :-

(क-3)5, (क-3)6, (क-6)1, (क-10)3, (क-12)1, (क-12)2, (क-17)1, (क-17)2, (क-17)3, (क-17)7, (क-22)3, (क-22)6, (क-25)3, (क-27)4, (क-28)6, (क-29)7, (क-31)1, (क-32)2, (क-33)13, (क-34)4, (क-39)4, (क-44)2, (क-44)3, (क-71)1, (क-71)2, (क-82)2, (क-82)3, (क-94)1, (क-94)2, (क-98)4, (ख-8), (ख-9), (क-43)1, (क-45)1, (क-49)1, (क-49)2, (क-49)3, (क-49)4, (क-51)3, (क-51)4, (क-70)7, (क-70)9, (क-70)11, (क-70)12, (क-70)14

दिनांक-01.03.2019 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में स्वीकृत वैसे परमित जिसके निर्गमन हेतु निर्धारित तिथि तक वाहन स्वामियों द्वारा कोई आवेदन राज्य परिवहन प्राधिकार के समक्ष समर्पित नहीं किया गया है, वैसे स्वीकृत परमित स्वतः रद्द समझे जायेंगे।

  
ज्य सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।